मुन्तकिली प्रकरण सं0 30/2019 (RCMS 2019/00050) अनवानी मलकीत सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह आयु 70 वर्ष जाति कम्बोज सिख, निवासी चक 19 एफ ज्वालेवाला, तहसील श्रीकरणपुर बनाम 1. ईसर कौर पत्नी हरनाम सिंह 2. हरदेव सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 19 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. सुखविन्द्र कौर पत्नी कश्मीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकलपुर तहसील झण्डयाला जिला अमृतसर (पंजाब) 4. हरविन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिह जाति कम्बोज सिख निवासी बुर्जा मलोट तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब) 5. बलवीर सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह 6. बलजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह 7 प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह 8. करतार सिह पुत्र अमर सिंह 9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 19 एफ तहसील करणपुर 10. मुख्त्यार सिंह पुत्र अर्जन सिंह चाण्ड जाति कम्बोज सिख निवासी बुर्जसिदवा तहसील मलोट, जिला मुक्तसर (पंजाब) 11. सुखविन्द्र कौर पत्नी बलराज सिंह पुत्री मुख्त्यार सिह जाति कम्बोज सिंहख निवासी एकता कॉलोनी, गली नम्बर 2, आखरी चौक, अबोहर (पंजाब) 12. राजेन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी बुर्जसिदवा तहसील मलोट जिला मुक्तसर(पंजाब) 13. परमजीत कौर पत्नी रणजीत सिंह पुत्री मुख्त्यार सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक मोहला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) 14. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी बर्जसिदवा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब) 15. रणजीत सिह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी बुर्जसिदवा तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब) 16. मनजीत कौर पत्नी सरवन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक पक्कीवाला तहसील व जिला हनुमानगढ 17. उपखण्ड अधिकारी, करणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.07.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं 11 से 16 की ओर से श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता उपस्थिति हुए। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की पूर्व में बहस सुने काफी समय होने के कारण, आज पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तक़िली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 01.02.2019 को पेश करके अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 49/2008 अनवानी मलकीत सिंह बनाम ईसर कौर व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए प्रार्थना की है।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त वाद पत्र क अलावा एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण अत्याधिक राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है और उनके द्वारा अपने राजनैतिक सम्बन्धों का उपयोग करते हुए उक्त वाद के निर्णय को प्रभावित करने के समय समय पर कुप्रयास किये जाते रहे है तथा प्रतिवादी हरदेव सिंह व अन्य को कई बार पीठासीन अधिकारी के घर आते जाते देखा गया है और प्रतिवादी हरदेव सिंह जो वादी के परिवार में भाई का बेटा है के द्वारा गांव में जाकर एलानिया कहा कि पीठासीन अधिकारी से उसकी बात हो गई है और वर्तमान विधायक के माध्यम से भी पीठासीन अधिकारी से अपने पक्ष में निर्णित करने के लिए दबाव बनवा दिया है और दिनांक 05.02.2019 को उक्त मामले का उनके पक्ष में निर्णय हो जाएगा।

नका आगे यह भी कथन है कि मामला आवश्यक प्रकृति है और प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त पीठासीन अधिकारी से मिलते जुलते देखा है। अप्रार्थीगण अवैध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष में फैंसला करवा सकते है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2019 एवं उसके पश्चात

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 16.01.2019, 21.01.2019 एवं तत्पचात 28.01.2019 अर्थात एक माह में उक्त मामले को सुनवाई में लिया गया है और गत पेशी में यहां तक कह दिया कि आपका मामला चलने योग्य नहीं है जिस कारण उक्त मामले में दिनांक 05.02.2019 को निर्णय पारित कर दिया जायेगा। जबकि उक्त मामले के प्रकरणों में एक माह से अधिक अवधि की तारीखें दी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय करणपुर विधानसभा क्षेत्र के बाहर अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि मूल वाद वर्ष 2008 से लम्बित है इसलिए शीघ्र निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा नजदीक की तारीख पेशियां दिया जाना उचित है। केवल मात्र विलम्ब करने के उद्देश्य से ही प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर मनगढंत राजनैतिक प्रभाव के आरोप लगा रहा है। इसलिए उसका प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है और राजस्व मण्डल के फुल बैंच के निर्णय अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। इसलिए अप्रार्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2018 को पेश किया है कि उक्त वाद चलने योग्य नहीं है और अप्राार्थी बलतेज सिंह द्वारा भी एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3)सीपीसी का दिनांक 24.09.18 का रिकॉर्ड पर दस्तावेज लेने सम्बन्धी पेश किये है जो काफी समयसे लम्बित है और ऐसे प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर नियमुनसार शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थी द्वारा सुनवाई में विलम्ब करने के लिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिए मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका यह भी कथन है -कि प्रार्थी ने ररजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर से भी स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है इसलिए वह जानबूझ कर प्रकरण में अन्तिम निस्तारण में विलम्ब कर रहा है इसलिए प्रांर्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र एवं लिखित जवाब एवं उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी दिनांक 22.02.2019, अधीनस्थ न्यायालय से उनके पत्र दिनांक 226 दिनांक 04.07.2019 जो इस न्यालयालय को 11.07.2019 को प्राप्त हुआ है में संलग्न मूल वाद का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 49/2008 अनवानी मलकीत सिंह बनाम ईसर कौर अन्तर्गत धारा 88,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है और प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का राजनैतिक प्रभाव बताते हुए और एक माह में नजदीक की चार पेशियां दिए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना प्रकट करते हुए उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि अप्रार्थीगण ईसर कौर आदि (प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 11 से 17 की आरे से) ने जरिए अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 06.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की फुल बैंच द्वारा पारित निर्णयानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 6 बलजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह द्वारा एक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी का दिनांक 24.09.2018 पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित इकरारनामा को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की है। उक्त प्रार्थना पत्र काफी समय से लम्बित है। उक्त प्रार्थना पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु 07.01.2019 से 16.01.2019 से 21.01.2019 से 28.01.2019 पेशियां दी गई है। चूंकि प्रकरण वर्ष 2008 का होने के कारण काफी पुराना है और ऐसे पुराने प्रकरणों को छोटी छोटी तारीख पेशियां दी जाकर शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जाने के राज्य सरकार के निर्देश है। **इसलिए उक्त दृष्टिकोण से उक्त प्रकरण में दी गई छोटी छोटी पेशिया उचित है और इनके आधार पर पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव का आरोप लगाना उचित प्रतीत नही होता है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रकरण में विलम्ब करने के लिए ही यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, राजनैतिक दबाव का ऐसा आरोप कोई भी, किसी भी समय, किसी पर लगा सकता है। ऐसी दशा में यह आरोप केवल मात्र प्रकरण को लम्बित करने की दृष्टि से ही लगाया गया प्रतीत होता है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मलकीत सिंह द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण एवं आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर